मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

रिट याचिका संख्या 3472 / 1996

याचिकाकर्ता अशोक कमार दुबे, उम्र 41 वर्ष, पुत्र श्री शिव नारायण दुबे, सहायक अभियंता, मध्य प्रदेश, औद्योगिक केंद्र, विकास निगम, रायपुर।

बनाम

उत्तरवादीगण 1. मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, रायपुर, द्वारा प्रबंध निदेशक, बी/4, एम.आर.कॉलोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर।

2. श्री डी.के.कुलश्रेष्ठ, उप परियोजना अभियंता, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, B/4, एम.आर.कॉलोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर।

3. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, द्वारा प्रबंध निदेशक, एल.आई.सी. भवन के पास, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उपयुक्त रिट, निर्देश और/या

आदेश जारी करने के लिए रिट याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(छ.ग.)

रिट याचिका संख्या 3472/1996

अशोक कमार दुबे

बनाम

मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम **व अन्य।**

आदेश

तिथि को नियत करें 09.11.2006

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका संख्या 3472/1996

अशोक कमार दुबे

बनाम

मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम **व अन्य।**

उपस्थिति :

श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अली असगर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित।

श्री गौतम भादुड़ी, उत्तरवादी संख्या 1 और 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

श्री एस.पी. शर्मा, उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

आदेश
(09-11-2006)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा , न्यायमूर्ति

1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक P-6 के रूप में प्रस्तुत किए गए दिनांक 06.7.1996 के आदेश के तहत उत्तरवादी संख्या 2 की पदोन्नति को रद्द करने की प्रार्थना की है, तथा संबंधित उत्तरवादीगण को एक नई विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) गठित करने और पदोन्नति के मानदंडों पर डी.पी.सी. को उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को 26.3.1982 को कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 08.1.1990 से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। कथित डी.पी.सी. से पहले उन्होंने अगले उच्च पद पर विचार के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक सहायक अभियंता के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। अगला उच्च पद उप परियोजना अभियंता का पद है। डी.पी.सी. में याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 2 दोनों के प्रकरण पर विचार किया गया और अंततः डी.पी.सी. की संस्तुतियो पर उत्तरवादी संख्या 2 को 06.7.1996 के आदेश के तहत पदोन्नत किया गया, जिसे इस रिट याचिका में आक्षेपित किया गया है। याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नियम मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम

मर्यादित कर्मचारी सेवा नियम 1994–1995 (जिन्हें इसके बाद नियम कहा जाएगा) हैं और पदोन्नति का मापदंड वरिष्ठता – सह – योग्यता है। याचिकाकर्ता का स्वयं का प्रकरण यह है कि उत्तरवादी संख्या 2 उससे वरिष्ठ था, क्योंकि उसका नाम क्रमांक 2 पर आता है और याचिकाकर्ता का नाम 01.04.1995 को प्रकाशित पदक्रम सूची के क्रमांक 3 पर आता है, जिसे अनुलग्नक P–2 के रूप में दाखिल किया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 की पदोन्नति को इस आधार पर चुनौती दी है कि उत्तरवादी संख्या 2 की सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं, क्योंकि **1984** से पहले उत्तरवादी संख्या **2** पर एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाई गई थी और उसके बाद फिर से उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी और उक्त जांच में उसे चेतावनी की शास्ति लगाई गई थी। केवल इन दो बिंदुओं को उठाते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उत्तरवादी संख्या **2** को याचिकाकर्ता की तुलना में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था, जिस पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी और उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। कुल मिलाकर यह तर्क थी कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 2 के बीच, याचिकाकर्ता एक बेहतर उम्मीदवार था और उसे डीपीसी द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 के प्रकरण को दरकिनार करते हुए पदोन्नति के लिए संस्तुति की जानी चाहिए थी। क्षेत्राधिकार और हस्तक्षेप के दायरे के बारे में, विद्वान अधिवक्ता ने **बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, एआईआर 2000 एस.सी.3243** के प्रकरण में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी संख्या **2** के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यद्यपि वर्ष 1984 में कनिष्ठ अभियंता के रूप में उनकी एक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें दिनांक 08.01.1990 के आदेश (अनुलग्नक R–2/1) द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था और अगले उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने पर पहले लगाई गई शास्ति को समाप्त कर दिया गया था। जहां तक बाद की विभागीय जांच से संबंधित अन्य आरोपों का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि उक्त विभागीय जांच को समाप्त कर दिया गया था और एक

सलाह के रूप में उत्तरवादी संख्या 2 को केवल भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित किए गए अनुसार उनके खिलाफ चेतावनी का कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में दिनांक 18.7.1995 के आदेश की प्रति अनुलग्नक R–2/2 के माध्यम से दाखिल की है। इन सभी का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि चूंकि डी.पी.सी. की बैठक से पहले इस उत्तरवादी के खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रकरण नहीं था और वह याचिकाकर्ता से वरिष्ठ था, डी.पी.सी. ने उसके नाम की संस्तुति सही ढंग से की है और उसकी पदोन्नति विधि के अनुसार हुई है। उत्तरवादी संख्या 1 और 3 के अधिवक्ता ने भी उत्तरवादी संख्या 2 के प्रकरण का समर्थन किया।

5. बद्रीनाथ के प्रकरण (पूर्वोक्त) से निपटते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 40 के तहत माना कि जब तक वेडनस्बरी सिद्धांत को लागू करने के लिए एक मजबूत प्रकरण नहीं है या दुर्भावना नहीं है, तब तक न्यायालय और न्यायाधिकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए योग्यता या उपयुक्तता के संबंध में किए गए आकलन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। दुर्लभ प्रकरण में यदि मूल्यांकन दुर्भावनापूर्ण साबित होता है या अग्राह्य या असंगत या महत्वहीन और तुच्छ सामग्री पर आधारित पाया जाता है और यदि किसी के आजीविका के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करने या उन्हें महत्व नहीं देने का रवैया दृढ़ता से प्रदर्शित होता है, या यदि किया गया हस्तक्षेप ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है, या यदि निर्णय के साथ अवैधता जुड़ी हुई है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां बंद नहीं होती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विभिन्न पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए और उनका संदर्भ देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 59 के तहत सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया:

(i) संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत पदोन्नति के लिए 'विचार किए जाने' का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। पदोन्नति के लिए केवल 'विचार' ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचार 'न्यायशास्त्र को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों के अनुसार उचित' होना चाहिए।

(ii) न्यायालय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि पीड़ित अधिकारी यह सिद्ध न कर दे कि पदोन्नति न किया जाना वेडनस्बरी सिद्धांतों के अनुसार गलत था या यह दुर्भावनापूर्ण था।

(iii) किसी अधिकारी को पदोन्नत करते समय या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन प्रतिकूल टिप्पणियों को जो महत्व दिया जाना चाहिए, वह निष्पक्षता के कुछ ठोस सिद्धांतों पर निर्भर करता है।

(iv) यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ दूर के अतीत से संबंधित हैं और ऐसी टिप्पणियों से संबंधित हैं जैसे कि उसने अपना अधिकतम प्रयास नहीं किया या ऐसा ही कुछ, तो उन टिप्पणियों को लंबे समय के बाद महत्व नहीं दिया जा सकता है, खासकर यदि उसकी पदोन्नति से पहले की अवधि के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई हो। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरण में भी यही स्थिति है।

(v) यदि प्रतिकूल पुनर्संरचनाएँ किसी पूर्ववर्ती पदोन्नति से पहले की अवधि से संबंधित हैं, तो उन्हें अपनी धार खो चुके तथा कमज़ोर सामग्री के रूप में माना जाना चाहिए, हालांकि इस शर्त के अधीन कि यदि वे बेईमानी या निष्ठा की कमी से संबंधित हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किए जाने के लिए अपनी ताकत नहीं खोई हुई माना जा सकता है।

(vi) असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है, भले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पहले उनके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) इसलिए, यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के लिए विचार निष्पक्ष होना चाहिए और आम तौर पर न्यायालय डी.पी.सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक कि वेडनस्बरी के सिद्धांतों के अनुसार पदोन्नत न किया जाना खराब न हो और दुर्भावनापूर्ण न हो। प्रतिकूल टिप्पणियों को निष्पक्षता के ठोस सिद्धांतों पर महत्व दिया जाना चाहिए और पिछली पदोन्नति से पहले की अवधि से संबंधित

प्रतिकूल टिप्पणियों को इस शर्त के अधीन मिटा दिया गया माना जाता है कि यदि वे बेईमानी या ईमानदारी की कमी से संबंधित हैं तो उन्हें पूरी तरह से अपनी ताकत नहीं खोई है, इसलिए उन्हें अनदेखा किया जा सकता है।

(8) वर्तमान प्रकरण में, जहां तक एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड के बारे में प्रथम बिन्दु का प्रश्न है, अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज जून 1984 का वेतन निर्धारण आदेश है जो उत्तरवादी संख्या 2 सहित अनेक कर्मचारियों से संबंधित है तथा इसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 का वेतन वृद्धि को एक वर्ष के लिए रोक दिया गया था। स्वीकृत रूप से, यह दण्ड उत्तरवादी संख्या 2 पर उस समय लगाया गया था जब वह कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत था, लेकिन उक्त तिथि के पश्चात, याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी संख्या 2 दोनों को तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 08.1.1990 के एक समान आदेश द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 08.1.1990 के इस पदोन्नति आदेश को याचिकाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। यह दण्ड क्यों लगाया गया, यह अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) सर्वोच्च न्यायालय ने बद्रीनाथ (पूर्वोक्त) के प्रकरण में कहा है कि यदि प्रतिकूल टिप्पणियाँ किसी पिछली पदोन्नति से पहले की अवधि से संबंधित हैं तो उन्हें अपनी तीक्ष्णता खो चुके और कमज़ोर सामग्री के रूप में माना जाना चाहिए, बशर्ते कि यदि वे बेईमानी या सत्यनिष्ठा की कमी से संबंधित हैं तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए उनकी ताकत पूरी तरह से नहीं खोई हुई मानी जा सकती है। **बृज मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1987 एससी 1948** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति के सवाल पर विचार करते समय शासकीय कर्मचारी के अभिलेख का समग्र मूल्यांकन करना वांछनीय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय ऐसे विचारों से तुरंत पहले के वर्षों से संबंधित गोपनीय अभिलेख को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह संभव है कि किसी सेवा में शामिल होने वाले नए व्यक्ति ने गलतियाँ की होंगी और उस वजह से उसने प्रतिकूल टिप्पणियाँ की होंगी और अगर किसी शासकीय कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्ति करने के लिए सेवा के शुरुआती वर्षों की उन प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाए तो शायद कोई भी कर्मचारी सुरक्षित

नहीं होगा भले ही उसके बाद के वर्षों में सेवा का शानदार अभिलेख क्यों न हो। उक्त निर्णय के पैरा 7 में संदर्भित विभिन्न अन्य निर्णयों पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति के सवाल पर विचार करते समय पुरानी और बासी प्रविष्टियों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, इसके बजाय, सार्वजनिक हित में शासकीय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति करने के लिए अपेक्षित राय देने के लिए 5–10 साल की हाल की प्रविष्टियों पर विचार किया जाना चाहिए। सुदूर अतीत की प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार करना और हाल के अतीत की अच्छी प्रविष्टियों को नजरअंदाज करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि 10 वर्ष से अधिक की अवधि की प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाए, तो यह कर्मचारी के खिलाफ आदेश देने के लिए कुछ सामग्री प्राप्त करने के लिए अतीत को खंगालने जैसा कार्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को बद्रीनाथ के प्रकरण (पूर्वोक्त) में संदर्भित किया गया है। यह सब प्रतिकूल टिप्पणियों से संबंधित है और यदि हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को वर्तमान जैसे मामूली दंड के प्रकरण में लागू करते हैं, तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उपरोक्त मामूली दंड से संबंधित बेईमानी या सत्यनिष्ठा की कमी के किसी भी आरोप की अनुपस्थिति में, उक्त मामूली दंड जो कि वर्ष 1984 से पहले लगाया गया था, कथित डी.पी.सी. और पदोन्नति में अपना प्रभाव खो चुका माना जाएगा जो वर्ष 1996 में हुई थी, विशेष रूप से, उस परिस्थिति में जब याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 2 को इस तरह के दंड के लगाए जाने के बाद भी वर्ष 1990 में एक और निर्विवाद पदोन्नति दी गई थी, और मैं इसे तदनुसार मानता हूं। इसलिए, उपरोक्त दंड 1996 की डी.पी.सी. के समक्ष विचारणीय मुद्दा नहीं थी और यह नहीं कहा जा सकता कि यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो इस आधार पर डी.पी.सी. की कार्रवाई दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी विभागीय जांच के बारे में, दिनांक 26.9.1994 की कार्यवाही की प्रतियां (अनुलग्नक P–4) अभिलेख पर दाखिल की गई हैं। अभिलेख में यह बात सामने आई है कि उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ 3 आरोप लगाए गए थे जो कुछ सड़क निर्माण से संबंधित थे। और आरोपों का सार यह था कि उत्तरवादी संख्या 2 ने तकनीकी मानदंडों का पालन नहीं किया था और गुणवत्ता परीक्षण किए बिना सामग्री (मुरूम) का उपयोग किया गया था और अंत में ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य का कुछ गलत

माप किया गया था।ठेकेदार को कोई लाभ नहीं पहुँचाया गया है। उक्त दस्तावेज़ में आरोपों का स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

11. उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यद्यपि यह जांच की गई थी, लेकिन उत्तरवादी संख्या 2 के विरुद्ध इस जांच से संबंधित कोई दंड नहीं लगाया गया। उन्होंने दस्तावेज अनुलग्नक R–2/2 की विषय–वस्तु का हवाला दिया जो 18.7.1995 का एक आदेश है जो दर्शाता है कि अंततः जांच की कार्यवाही समाप्त कर दी गई और उत्तरवादी संख्या 2 को केवल भविष्य में कार्य करते समय अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई। अनुलग्नक R–2/2 की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है।

"म०प्र० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) लिमिटेड
(म.प्र. औद्योगिक विकास निगम लि० भोपाल का सहायक उपक्रम)

क्रमांक केविनिरा/आर/95/2508 18/7/95

प्रति,

श्री डी. के. कुलश्रेष्ठ,
सहायक यंत्री,
म.प्र.औ.के.वि.नि. (रा) लि०,
रायपुर म.प्र.

विषयः– औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा में डब्ल्यूबी.एम. सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बाबत् – विभागीय जांच ।

औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा में डब्ल्यूबी.एम. सड़क निर्माण कार्य में आपके द्वारा अनियमितता बाबत् विभागीय जाँच का प्रतिवेदन संचालक–मण्डल की 57 वीं बैठक दिनांक 20.3.95 में प्रस्तुत किया गया था। संचालक–मण्डल की बैठक में पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आप भविष्य में कार्य संपादन में सचेत रहें तथा जाँच की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सही /–
प्रबंध संचालक"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. यदि हम पक्षों के प्रकरण में लागू नियमों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1994–1995 के नियमों के अनुसार केवल निम्नलिखित को ही दण्ड/शास्ति माना गया है।

"(1) (क) परिनिंदा या जुर्माना,

(ख) वेतनवृद्धियों या पदोन्नति रोकना या स्थगित करना, जिसमें दक्षतारोध यदि कोई हो, पर रोकना सम्मिलित है,

(ग) वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकना,

(घ) उदासीनता या आदेशों के उल्लंघन के कारण निगम को हुई किसी आर्थिक क्षति की संपूर्ण या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली ।

(ड) नियत वेतन पर समय–मान में किसी निम्न पद या वर्ग या किसी समयमान में किसी निम्न प्रावस्था में पदावनति,

(च) बरखास्तगी ।”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. सुसंगत नियम के अवलोकन से पता चलता है कि भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी, जैसा कि उत्तरवादी संख्या 2 को सलाह दी गई है, विभागीय जांच पूरी किए बिना भी, उक्त नियमों के अनुसार दंड या शास्ति के रूप में परिभाषित नहीं की गई है और यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के तहत परिकल्पित किसी भी दंड को उक्त विभागीय जांच में उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ लगाया गया था। बल्कि यह अभिलेख पर आता है कि जांच पूरी होने और जांच रिपोर्ट दाखिल करने के तुरंत बाद, निदेशक मंडल ने जांच को समाप्त करने का फैसला किया और उन्होंने केवल उत्तरवादी संख्या 2 को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें उन्हें भविष्य में अधिक सावधान रहने की सलाह दी गई थी। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त डी.पी.सी. से पहले उनके खिलाफ शुरू की गई उपरोक्त जांच से संबंधित उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ कोई दंड कायम थी। यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि भविष्य में सावधान रहने के लिए उपरोक्त सलाह / निर्देश एक परनिंदा के बराबर होगा जिसे नियमों के तहत शास्ति माना गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि परनिंदा को चेतावनी के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि परनिंदा उपरोक्त नियमों के तहत एक शास्ति है और इसे विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही लगाया जा सकता है और परनिंदा का दंड और जांच पूरी किए बिना भविष्य में अधिक सावधान रहने की सलाह जारी करना सेवा न्यायशास्त्र में विभागीय जांच दो अलग–अलग प्रतिक्रियाएं हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दूसरा तर्क दिया गया है और इसे इस

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब जांच ही समाप्त कर दी गई थी और उत्तरवादी संख्या 2 के खिलाफ कोई शास्ति नहीं लगाया गया था।

14. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा 12.12.2002 को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दिए जाने के लिए दायर किए गए आवेदन पर लिखे गए विभाग के नोटशीट को संदर्भित किया । उन्होंने इन नोटशीट के अंतिम पृष्ठ का हवाला दिया जिसमें 04.04.2003 को प्रबंध निदेशक ने कई कारणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की भूतलक्षी पदोन्नति के बारे में अनुमोदन के लिए लिखा है। याचिकाकर्ता द्वारा 12.12.2002 को किए गए आवेदन/अभ्यावेदन पर 04.4.2003 को बाद में लिखे गए ये विभागीय नोटशीट वैधानिक रूप से गठित डी.पी.सी. की कार्यवाही से सह–संबंधित नहीं हो सकते हैं, जिसकी बैठक वर्ष 1996 में हुई थी और उत्तरवादी संख्या 2 को इसकी संस्तुतियाँ के अनुसार पदोन्नत किया गया था। इस न्यायालय की राय में, जहां तक उत्तरवादी संख्या 2 की पदोन्नति रद्द करने की प्रार्थना का संबंध है, ये आधिकारिक नोटशीट याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, उत्तरवादी संख्या 2 की योग्यता या उपयुक्तता के बारे में डी.पी.सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन और उसके परिणामस्वरूप पदोन्नति में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें मूल्यांकन दुर्भावनापूर्ण है या अग्राह्य या असंगत या महत्वहीन और तुच्छ सामग्री पर आधारित है। उत्तरवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता से वरिष्ठ था और वरिष्ठता–सह–योग्यता के मानदंड लागू किए जाने थे, जिन्हें लागू किया गया है और इस प्रकरण में हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

16. याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही /–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ankita Shukla (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur